न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चन्देरी, जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.—209 / 2004</u> संस्थित दिनांक— 21.05.2004

| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा | |
|-------------------------|---------|
| आरक्षी केन्द्र पिपरई | |
| जिला अशोकनगर। | अभियोजन |

विरुद्ध

- 1. पंचम सिंह पुत्र राजाराम यादव उम्र 35 साल
- 2. राजाराम पुत्र खिलन सिंह यादव उम्र 58 साल निवासीगण ग्राम गरेठी, जिला अशोकनगर, म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 28.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 171 (च) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 136 (6) के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—01.12.2003 को समय 01:15 बजे मतदान केन्द्र 110 शासकीय माध्यमिक शाला भवन गरेठी में प्रार्थी कैलाश चन्द्र राय को निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपेण बैलिट यूनिट मशीन तोडकर मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न की एवं सम्यक प्रतिकार बिना मतपेटी क्रमांक सी—11268 एवं यूनिट कंट्रोल सी—11478 जो निर्वाचन के प्रयोजनों में उपयोग आता है, को नष्ट किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2003 को 34 मुंगावली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक—110 गरेठी पर बैलिट मतदान मशीन नंबर सी. 11268 एवं कंटोल यूनिट क0 सी. 11478 द्वारा सूचारू रूप से मतदान कराया जा रहा था कि केन्द्र पर उपस्थित पंचम सिंह एवं राजाराम पोंलिग ऐजेंट ग्राम गरेठी ने मतदान में बाधा पहुंचाई एवं बैलिट यूनिट मशीन को लगभग 01:15 बजे पर तोड दी, मशीन को मतदान योग्य न होने के कारण जोनल अधिकारी से यूनिट कंट्रोल यूनिट क0 सी. 10912 एवं बैलिड मशीन क0 सी. 11902 प्राप्त कर मतदान 01:45 पी.एम. चालू कराया गया। उक्त दिनांक को ही पीठासीन अधिकारी ग्राम गरेठी मतदान केन्द्र संख्या—110 के फरियादी कैलाश राय द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध आवेदन प्रदर्श पी 01 दिया गया, उक्त आवेदन पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक—212/2003 अंतर्गत धारा 171 (च) भा.द.वि. एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 136 (६) की प्रदर्श पी 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.12.2003 को समय 01:15 बजे मतदान केन्द्र 110 शासकीय माध्यमिक शाला भवन गरेठी में प्रार्थी कैलाश चन्द राय को निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपेण बैलिट युनिट मशीन तोडकर मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न की ?
- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सम्यक प्रतिकार बिना मतपेटी क्रमांक सी-11268 एवं यूनिट कंट्रोल सी—11478 जो निर्वाचन के प्रयोजनों के उपयोग में आता है, को नष्ट किया ?
- दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 और 03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पुर्नावित्त को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन किया जाकर निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है। फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०-०1) का अपने कथनों में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, दिनांक 01.12.2003 को वह जल संसाधन विभाग शिवपुरी में पदस्था था तथा उसे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गरेठी चन्देरी में पीठासीन अधिकारी बनाकर भेजा गया था। इस साक्षी का कहना है कि जब वह गरेठी में मतदान करा रहा था, तो वहां पर अभियुक्त राजाराम व पंचम सिंह पोलिंग ऐजेन्ट थी, जिन्होने E.V.M. मशीन तोड दी थी। फरियादी के अनुसार जब आरोपीगण मशीन तोड रहे थे, जो उस समय उसने रोका था, परन्तु तब आरोपीगण लंडने पर उतारू हो गये थे। इस साक्षी का कहना है कि इस घटना के समय जूनियर अधिकारी गुप्ता थे, जो उस समय वहां आये थे, जिन्होने मशीन खराब होने पर दूसरी मशीन उपलब्ध कराई थी, इसके बाद मतदान शुरू हुआ था।
- 06— कैलाश चन्द राय (अ0सा0-01) का कहना है कि इस घटना के संबंध में उसने प्रदर्श पी 01 का लिखित आवेदन जोनल अधिकारी से फॉरवर्ड कराकर तथा जोनल अधिकारी के साथ जाकर थाना प्रभारी को दिया था, जिस पर प्रदर्श पी 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। कैलाश चन्द राय (अ०सा०-०1) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन की पुष्टि प्रदर्श पी 01 के आवेदन जो कि उसके द्वारा थाने पर दिया गया था एवं इस आवेदन के आधार पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 से होती है। कैलाश चन्द (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते है तथा इस साक्षी के उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी कोई तात्विक विरोधाभास न होने से अखण्डित रहे है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की

कण्डिका—03 में यह स्पष्ट कहना है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में इस साक्षी की पहचान करते हुये स्पष्ट रूप से बताया है कि दोनों ही अभियुक्तगण मतदान केन्द्र पर पार्टी एजेन्ट थे। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में तत्कालीन जोनल अधिकारी सी. वी. गुप्ता (अ0सा0—12) के कथन न्यायालय में कराये गये है।

- 07— सी. वी. गुप्ता (अ0सा0—12) ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कैलाश चन्द (अ0सा0—01) के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त पंचम सिंह और राजाराम को नाम से जानता है, क्योंकि उक्त अभियुक्तगण पोलिंग ऐजेंट थे तथा वह स्वयं दिनांक—01.12.2003 को मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में जोनल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। इस साक्षी ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण को चेहरे से नहीं पहचानता है, नाम से जानता हैं, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण की ड्यूटी ऐजेन्ट के रूप में कागजों में थी, इसलिए वह जानता है कि वह मौके पर थे तथा इस साक्षी का कहना है कि घटना के बाद इन दोनों ऐजेन्टों के नाम जाहिर भी हो गये।
- 08— सी. वी. गुप्ता (अ०सा०—12) ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—01) के कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि वह चुनाव के समय जब जोन भ्रमण करते हुये, मतदान केंद्र 110 ग्राम गरेठी पहुंचे थे, तो वहां पर पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—01) के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि मतदान केंद्र पर उपस्थित अभियुक्तगण ने मशीन तोड दी है। सी. वी. गुप्ता (अ०सा०—12) साक्षी हालांकि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि ग्राम गरेठी में अभियुक्तगण कागजों में भी पोलिंग ऐजेन्ट थे, जिनके द्वारा मशीन तोडने की जानकारी फरियादी ने उसे दी थी तथा मशीन टूटने से करीब आधे घण्टे मतदान बाधित रहा था। इस साक्षी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि पीठासीन अधिकारी कैलाश राय द्वारा घटना के संबंध में उसे प्रदर्श पी 01 का आवेदन दिया गया था, जिसे उसने अपने हस्ताक्षरों से अग्रसित किया था।
- 09— घटना दिनांक को ग्राम गरेठी में मतदान के दौरान कैलाश चन्द राय (अ०सा०—01) की पीठासीन अधिकारी के रूप ड्यूटी थी यह इस साक्षी ने अपनी मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट किया है तथा इस साक्षी ने अपने परीक्षण में ही व्यक्त किया है कि प्रदर्श पी 12 का दस्तावेज तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा जब ड्यूटी लगाई गई थी, उसके संबंध में जारी किया गया था, जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कैलाश चन्द राय एवं उक्त मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारियों के रूप में गंगा विशन मीणा (अ०सा0—10) सिहत लक्ष्मण सिह राजपूत (अ०सा0—09) व मोहनलाल शर्मा (अ०सा0—11) की डयूटी लगाई गई थीं।
- 10— ग्राम गरेठी स्थित मतदान केंद्र के अधिकारी गंगाविशन मीणा (अ०सा0—10) सहित लक्ष्मण सिंह राजपूत (अ०सा0—09) व मोहनलाल शर्मा (अ०सा0—11) के कथन अभियोजन ने

अपनी ओर से अपने समर्थन में कराये हैं, जिसमें इन तीनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि मुंगावली विधानसभा चुनाव के समय ग्राम गरेठी स्थित मतदान केन्द्र पर चुनाव कराने के लिये वह लोग भी गये थे तथा उक्त ग्राम गरेठी स्थित मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द राय (अ०सा0—01) थे, इन तीनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा0—01) के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना का हालांकि पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, परन्तु इन तीनों ही साक्षियों ने इस संबंध में एक राय होकर अखण्डित साक्ष्य दी है कि ग्राम गरेठी स्थित जिस मतदान केन्द्र पर उनकी कैलाश चन्द राय (अ०सा0—01) के साथ ड्यूटी थी, उक्त मतदान केंद्र पर E.V.M. मशीन तोडी गई थीं, जिसके बाद मशीन बदलकर पुनः मतदान कराया गया था।

- 11— फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—०1) का यह स्पष्ट अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण जो कि पोलिंग बूथ पर पार्टी ऐजेंट थे, ने E.V.M. मशीन को उठाकर पटक दिया था और जब फरियादी ने उन्हें रोका तो वह उससे लड़ने पर भी उतारू हो गये थे। ग्राम गरेठी स्थित पोलिंग बूथ पर E.V.M. मशीन को तोड़ा गया था, इस बात पर अभियोजन साक्षी मुकेश (अ०सा०—०2) राजपाल (अ०सा०—०3), सुनील शर्मा (अ०सा०—08) सहित लक्ष्मण सिह राजपूत (अ०सा०—०9), मोहन लाल शर्मा (अ०सा०—11) ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये अखण्डित साक्ष्य दी है, परन्तु उक्त E.V.M. मशीन अभियुक्तगण के द्वारा तोड़ी गई, इस संबंध में मुकेश (अ०सा०—०2), राजपाल (अ०सा०—०3), सुनील शर्मा (अ०सा०—०8) ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि उक्त E.V.M. मशीन अभियुक्तगण के द्वारा तोड़ी गई थी तथा यह साक्षी इस संबंध में भी पुलिस को भी जो कथन न देना बताता है।
- 12— इसी प्रकार लक्ष्मण सिंह राजपूत (अ०सा०—०९) व मोहन लाल शर्मा (अ०सा०—11) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी सिंहत अभियोजन का इस बात भी लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि E.V.M. मशीन मतदान केन्द्र पर अभियुक्तगण के द्वारा तोडी गई थी, लक्ष्मण सिंह (अ०सा०—०९) जहां अभियोजन घटना के विरूद्ध न्यायालय में यह कथन देता है कि 20—25 लोग मतदान केन्द्र में फर्जी वोटिंग का कहकर आकर गाली—गलौच कर रहे थे और गांव वालों ने इसके बाद वोटिंग मशीन तोड दी अर्थात् इस साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध यह स्पष्ट कथन दिये है कि उन्ही के द्वारा वोटिंग मशीन तोडी गई थीं।
- 13— मोहन लाल शर्मा (अ०सा0—11) भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि मतदान केंद्र पर उपस्थित एक व्यक्ति ने वोट मशीन डालने की मशीन को उठाकर फेंक दिया था जिसके बाद पुलिस मौके पर आ गई थी और मतदान 04—05 मिनिट बन्द हो गया था और दूसरी मशीन आने पर मतदान शुरू हुआ था, परन्तु इस साक्षी का भी अपने कथनों में यह कहना नही है कि उक्त वोटिंग मशीन अभियुक्तगण के द्वारा ही उठाकर पटकी गई थी। इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—05 में कहना है कि उपस्थित ऐजेन्टों में किसने घटना कारित की थी वह नहीं बता सकता है।

- 14— गंगाविशन मीणा (अ०सा०—10) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण की पहचान की है, तथा इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि 10—12 वर्ष पूर्व चुनाव के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसमें अभियुक्त पंचम सिंह नें चुनाव की पेटी फेंक दी थी, जो कि टूट गई थी, जिससे चुनाव घण्टा ढेड घण्टा बाधित हो गया था, जिसके बाद पुनः मशीन मांगा कर चुनाव कराया गया था, इस साक्षी का कहना है कि घटना दो बजे की है तथा मौके सही घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को पुलिस पकड ले गई थी। गंगा विशन मीणा (अ०सा०—10) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्तगण की पहचान करते हुये पंचम सिंह के द्वारा पेटी फेंककर तोडना बताया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में साक्षी का कहना है कि मशीन तोडने वाले व्यक्तियों के नाम उसे याद नही है अतः मशीन चुनाव के दौरान तोडी गई थी, इस संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य अखण्डित है, परन्तु उक्त मशीन वास्तव में अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा तोडी गई इस संबंध में इस कथनों में मामूली विरोधाभास अवश्य है।
- 15— यह उल्लेखनीय है कि फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—०1) को छोडकर घटना के किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने स्पष्ट रूप से अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया है कि विधानसभा चुनाव में ग्राम गरेठी स्थित मतदान केंद्र पर E.V.M. मशीन वास्तव में अभियुक्तगण के द्वारा तोडी गई थी, परन्तु सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य इस संबंध में फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—०1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों का इस बिन्दू पर समर्थन करते है कि ग्राम गरेठी मतदान केन्द्र पर E.V.M. मशीन तोडकर मतदान का कार्य प्रभावित किया गया।
- 16— विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि साक्षियों के पक्ष विरोधी हो जाने के बाद भी वह जितने बात पर अभियोजन का समर्थन करते हो, उतने कथनों को अभियोजन के पक्ष में विचार में लिया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का मत मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टान्त Mrinal Das vs State of Tripura (2011) 9, SCC 479 में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित है, जो कि अवलोकनीय है।
- 17— अतः ऐसे में अभियोजन साक्षी मुकेश (अ०सा०—02), राजपाल (अ०सा०—03), सुनील शर्मा (अ०सा०—08), लक्ष्मण सिंह राजपूत (अ०सा०—09), गंगाविशन मीणा (अ०सा०—10) व मोहनलाल शर्मा (अ०सा०—11) ने भले ही अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन नही किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही ग्राम गरेठी स्थित मतदान केन्द्र पर E.V.M. मशीन तोडी गई थी, परन्तु E.V.M. मशीन तोडनें की घटना ग्राम गरेठी स्थित मतदान केन्द्र पर हुई थी, यह इन साक्षियों की साक्ष्य से पूरी तरह से फरियादी के कथनों का समर्थन करने के कारण साबित होता है।
- 18— कैलाश चन्द राय जो कि जल संसाधन विभाग शिवपुरी में पदस्थ होकर दिनांक 01.12. 2003 को ही ग्राम गरेठी स्थित मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था, का अभियुक्तगण को पहचानते हुये यह स्पष्ट कहना है अभियुक्तगण पोलिंग ऐजेन्ट थे, जिन्होने E.V.M. मशीन को तोडा है और रोकने पर वह लडने पर भी ऊतारू

हो गये थे। इस साक्षी के कथनों में घटना के संबंध में लेशमात्र भी विरोधाभास नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिये गये है कि कांग्रेस पार्टी फर्जी वोटिंग करा रही थी तथा बूथ में कई लोग घुस आये थे, जिससे तार पैर में फंस जाने से मशीन गिरने से टूट गई थी।

- 19— बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव के संबंध में लक्ष्मण सिंह राजपूत (अ0सा0—09) ने निश्चित रूप से समर्थन करते हुये 20—25 लोगों के मतदान केंद्र में आने और गांव वालों के द्वारा वोटिंग मशीन तोड़ने के संबंध में कथन दिये है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि कैलाश चन्द राय (अ0सा0—01), का यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही मशीन को तोड़ा गया था, जिसके संबंध में उसने प्रदर्श पी 01 का आवेदन थाने पर दिया था। फरियादी व अभियुक्तगण की पूर्व से परीचित नहीं थे, E.V.M. मशीन को टूटना लगभग सभी साक्षियों ने स्वीकार किया है। वहीं गंगाविशन मीणा (अ0सा0—10), मोहन लाल शर्मा (अ0सा0—11) व सुनील शर्मा (अ0सा0—08) ने भले ही अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन न किया हो, परन्तु इन साक्षियों की साक्ष्य इस संबंध में स्पष्ट है कि E.V.M. मशीन स्वतः किसी का पैर लगने से या भीड़ के कारण नहीं टूटी थी, बल्कि उसे तोड़ा गया था, फरियादी कैलाश चन्द राय (अ0सा0—01) के द्वारा दी गई अखण्डित साक्ष्य निश्चित रूप अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन के समर्थन में एक मात्र साक्ष्य तथा अन्य साक्षियों के कथनों से E.V.M. मशीन का तोड़ा जाना साबित होता है।
- 20— किसी भी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जाती है, तथा इस हेतु एकल साक्षी की साक्ष्य ही पर्याप्त होती हैं। वर्तमान प्रकरण फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—०1) ग्राम गरेठी में मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात था, तथा उक्त तैनाती के समय उक्त मतदान केंद्र पर E.V.M. मशीन टूटने की घटना हुई थी, इस बात की पुष्टि लगभग सभी अभियोजन साक्षियों ने अपने कथनों में की है। वहीं कैलाश चन्द राय (अ०सा०—०1) ने स्पष्ट रूप से उक्त कृत्य अभियुक्तगण के द्वारा किया जाना बताते हुये, अभियोजन घटना को पूरी तरह से प्रमाणित किया है।
- 21— प्रकरण में थाना प्रभारी संजीव तिवारी (अ०सा०—07) ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 02.12.2003 को ही सुबह 04:00 बजे फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा0—01) ने जोनल अधिकारी सी. वी. गुप्ता (अ०सा0—12) के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण के द्व रा E.V.M. मशीन तोड़ने के संबंध में लेखिये आवेदन दिया था, जिस पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, इससे यह प्रमाणित होता है कि घटना की रिपोर्ट ही घटना के तत्काल बाद ही फरियादी के द्वारा थाने पर की गई। संजीव तिवारी (अ०सा0—07) के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही को बचाव पक्ष की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उनके द्वारा बिना प्रारंभिक जांच के सीधा प्रकरण दर्ज कर लिया गया, वही विवेचक नीरज राणा (अ०सा0—03) की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साक्षियों को कथन देने के लिये दिये गये नोटिस प्रकरण

में संलग्न नही है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी 01 पर सीधे अपराध दर्ज करने के लिये थाना प्रभारी सक्षम था, वहीं मात्र नोटिस संलग्न न होने से एवं साक्षियों के द्वारा पक्ष विरोधी हो जाने के कारण थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता अधिकारी जिनके द्वारा लोक सेवक की हैसियत से सम्पूर्ण कार्यवाही की गई, पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

- 22— फरियादी कैलाश चन्द राय (अ०सा०—०1) के द्वारा घटना के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथन अकाट्य व अखण्डित हैं, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी 01 के थाने पर दिये गये आवेदन में वर्णित घटना के साथ घटना के अन्य साक्षियों के द्वारा आंशिक रूप से घटना को प्रमाणित करने के संबंध में दिये गये कथनों से होती हैं, जिससे उपरोक्त आधार पर अभियोजन घटना पूरी तरह से प्रमाणित होती है।
- 23— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उन्होंने दिनांक 01.12.2003 को समय 01:15 बजे मतदान केन्द्र 110 शासकीय माध्यमिक शाला भवन गरेठी में प्रार्थी कैलाश चन्द्र राय को निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपेण बैलिट यूनिट मशीन तोडकर मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न की एवं सम्यक प्रतिकार बिना मतपेटी कमांक सी—11268 एवं यूनिट कंटोल सी—11478 जो निर्वाचन के प्रयोजनों में उपयोग हो रही थी, को नष्ट किया।
- 24— फलतः अभियुक्तगण पंचम सिंह पुत्र राजाराम यादव, राजाराम पुत्र खिलन सिंह यादव को भा०द०वि० की धारा 171 (च) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 136 (6) के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 171 (च) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 136 (6) के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 25— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

26— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा

व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुयें हैं, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्तगण के द्वारा किये गये कृत्य को देखे, तो उन्होंने एक पार्टी का ऐजेन्ट होते हुये निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करके शासकीय संपत्ति को भी क्षिति कारित की है, इस तरह के कृत्यों को यदि नजरअन्दाज किया गया, तो इससे चुनावी पार्टी एवं कार्यकर्ताओं को इस तरह की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के उनके हौसले बुंलद होंगे तथा एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के तहत् होने के वाले निर्वाचनों में लोगों की आस्था भी कम होगीं। अतः उक्त आस्था को बनाये रखने के लिये अभियुक्तगण के कृत्य को देखते हुये तथा प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, शिक्षाप्रद दण्ड से दिण्डत किया जाना आवश्यक हैं।

27— अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण पंचम सिंह पुत्र राजाराम यादव, राजाराम पुत्र खिलन सिंह यादव को भा०द०वि० की धारा 171 (च) के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 03—03 माह (तीन—तीन माह) सश्रम कारावास एवं 1000—1000/— रूपये (एक—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07—07 दिवस (सात—सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 136 (6) के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 01—01 माह (एक—एक माह) सश्रम कारावास एवं 1000—1000/— रूपये (एक—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 03—03 दिवस (तीन—तीन दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

28—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति जिला दण्डाधिकारी को न्यायोचित निराकरण के लिये भेजी जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (9) <u>दांडिक प्रकरण कं.—209/2004</u>